International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 7, July- 2017, pp~300-309
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939

गाँधी की विचारदृष्टि में महिलाएँ : संदर्भ और मुद्दे

डॉ. अनुराधा सिंह

सहा.प्राध्यापक राजनीति शास्त्र

शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी

महाविद्यालय सीतापुर जिला–सरगुजा छ0ग0

सारांष –

किसी भी समाज में सामाजिक न्याय तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक उस समाज की महिलाओं को पर्याप्त सम्मान न प्राप्त हो। प्रायः सभी समाजों में पुरूषों की अपेक्षा नारियाँ सदैव हानि की स्थिति में रही हैं तथा पैतृक व्यवस्था के कारण पुरूषों के अधीन रहना पडा। पुरूष प्रधान सामाजिक संरचना के कारण महिलाएं पुरूषों के प्रभुत्व में तथा उनके द्वारा शोषित होती रही हैं। 20वीं शताब्दी में गांधी के आने के बाद भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हुआ। यद्यपि इसके पूर्व अनेक समाज सुधारकों ने इस दिषा में कठोर प्रयास शुरू कर दिए थे। गांधी महिलाओं के मानवाधिकारों की पैरवी करते हैं। उनकी दृष्टि से महिलाओं को वे सभी अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो पुरूषों को प्राप्त है। भारत की महिलाओं के प्रति गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह रहा है कि उन्होंने भारतीय महिलाओं को राजनीतिक आन्दोलन का मुख्य हिस्सा बनाया। गांधी महिलाओं के अधिकारों के विषय में तो संवेदनषील थे परन्तु उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दे को कोई राजनीतिक शक्ल नहीं प्रदान की। पितृसत्तात्मक ढांचे के अंतर्गत ही उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की।

गांधी भारतीय समाज की परिकल्पना रामराज्य के आधार पर करते हैं वह एक ऐसे समाज के निर्माण का स्वप्न देखते थे जिसमें न्याय, समानता व शांति भारतीय समाज की प्रमुख धरोहर हों। गांधी जी के अनुसार भारत में न्याय, समानता व शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक स्त्रियों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान न हो इसलिए उन्होंने महिला मानवाधिकारों की वकालत की। गांधी जी स्त्री शक्ति के महत्व से भली–भांति परिचित थे। गांधीजी का ध्यान महिलाओं की जुझारू क्षमता पर पहली बार दक्षिण अफ्रीका में खिंचा था। वहां उन्होंने देखा कि भारी संख्या में महिलाएं उनके राजनीतिक विचारों से प्रभावित होती हैं उनके नेतृत्व में हुए कई आन्दोलनों में वे जेल गईं, बिना किसी षिकायत के जेल की कठोर सजा झेली और खदान श्रमिकों को हड़ताल में शामिल कर सकी। गांधीजी ने कई बार इसका जिक्र किया कि दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने महिलाओं में आत्म त्याग और अद्भूत क्षमता देखी।

दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही उन्हें स्त्री शक्ति के महत्व का बोध इंग्लैण्ड की आंदोलनकारी महिलाओं ने कराया था। मताधिकार के लिए लड़ा जाने वाला यह आन्दोलन राजनीतिक जीवन में स्थापित पुरूषों के वर्चस्व को अपदस्थ करके उनके समकक्ष स्त्रियों को प्रतिष्ठित करने के उद्देष्य से परिचालित था। उसी का परिणाम था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत वर्ष तक अपने सत्याग्रह संघर्ष में स्त्रियों की सहभागिता के लिए वैसा ही खुला रास्ता रखा जैसा पुरूषों के लिए था।[1] गांधीजी ब्रिटेन की स्त्रियों द्वारा मताधिकार प्राप्त कर राजनीतिक दृष्टि से पुरूषों के समकक्ष दर्जा प्राप्त करने की ईच्छा तथा उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले आन्दोलन के प्रबल पक्षधर थे। इंग्लैण्ड की स्त्रियों को नजीर मानते हुए गांधीजी ने कहा, उन स्त्रियों की लड़ाई अभी बाकि है और वे जरा भी थकी नहीं हैं। इंग्लैण्ड की स्त्रियों को बहुत सी स्त्रियों के खिलाफ जूझना पड़ता है। मताधिकार मांगने वाली स्त्रियों से न मांगने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इतना होने पर भी वे मुट्ठी भर स्त्रियां हार नहीं मान रही हैं। रोज ब रोज वे जितनी ठोकरे खाती उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती हैं। अब स्त्रियों ने निष्चय किया है कि जब तक उन्हें अपने अधिकार नहीं मिलते तब तक वे कर नहीं देंगी बल्कि अपना माल नीलाम होने देंगी और जेल जाएंगी।

गाँधीजी स्त्री–पुरूष समानता के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि समाज में स्त्री और पुरूष दोनों एक–दूसरे के अर्द्धांग हैं। स्त्री शारीरिक बल में पुरूष की बराबरी नहीं कर सकती परन्तु आध्यात्मिक बल उसमें पुरूष से अधिक है। स्त्री–पुरूष समानता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, स्त्री–पुरूषों में भेद करने की प्रवृत्ति मुझमें नहीं है, मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के सामाजिक, कौटुम्बिक और राजकीय अधिकार वे ही हैं जो पुरूषों के हैं। दोनों का आर्थिक अधिकार समान हैं और दोनों की नैतिक योग्यता भी एक है।[2] स्त्री पुरूष की सहचरी है और उसे वही मानसिक शक्तियां प्राप्त हैं जो पुरूषों को। उसे पुरूष की समस्त गतिविधियों में पूरी तरह भाग लेने का अधिकार है और उसे भी स्वतंत्रता का उतना हक है जितना पुरूषों को। केवल दूषित रीति–रिवाज के कारण ही घोर से घोर अज्ञानी तथा अयोग्य पुरूष भी स्त्रियों से ऊँचा समझा जाता है जिसका वह अधिकारी नहीं होता है।[3]

गाँधीजी के विचार में स्त्री और पुरूष में कोई भेद नहीं है लेकिन आज भी अधिकांष स्त्रियां स्वतंत्र चिंतन नहीं करती। वे अपने माता–पिता व अपने पति के आदेषों का पालन करके ही संतोष का अनुभव कर लेती है। अपनी निर्भरता का अहसास होने पर वे स्त्री अधिकार की आवाज बुलंद करने लगती है। अतः उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने की सीख दी जाए ताकि उनके सोच और जीवन वृत्त में बदलाव आए। इससे पुरूष प्रधान समाज उनकी शक्ति और त्याग की क्षमता को पहचान कर उन्हें सम्मानित स्थानों पर आसीन करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

भारत नारी षिक्षा के विषय में बहुत पिछड़ा हुआ है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भारतीय महिलाएं अपने कर्तव्य को पूरा करने में किसी से पीछे हैं। षिक्षा से गाँधीजी का अभिप्राय मात्र अक्षर ज्ञान से नहीं था वे कहा करते थे कि एक प्राचीन सूक्ति '' सा विद्या या विमुक्तये'' आज भी उतनी ही सत्य है जितनी की पहले थी अर्थात् षिक्षा से यहां आषय केवल आध्यात्मिक षिक्षा से नहीं है न विमुक्ति से आषय मृत्यु के उपरांत मोक्ष से है। ज्ञान में वह समस्त प्रषिक्षण समाहित है जो मानव जाति की सेवा के लिए उपयोगी है और विमुक्ति का अर्थ वर्तमान जीवन की सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्ति। पराधीनता दो प्रकार की होती हैं– बाहरी आधिपत्य की दासता और आदमी की अपनी

कृत्रिम आवष्यकताओं की दासता। इसी आदर्ष की प्राप्ति के लिए किया गया ज्ञानार्जन सच्ची षिक्षा है।

गाँधीजी कहा करते थे कि आज शुद्ध जल, वायु और शुद्ध पृथ्वी हमारे लिए अपरिचित हो गए हैं। हम आकाष और सूर्य के अपरिमेय मूल्य को नहीं पहचानते अगर हम पंच तत्वों पृथ्वी, जल, आकाष, अग्नि और वायु का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग करें और सही संतुलित भोजन करें तो हम युगों का काम पूरा कर सकेंगे। इस ज्ञानार्जन के लिए न डिग्रियों की आवष्यकता है न करोड़ों रूपए की । इसके लिए ईष्वर में जाग्रत विष्वास चाहिए, सेवा करने का उत्साह चाहिए, पंच तत्वों से परिचय चाहिए और आहार विज्ञान की जानकारी चाहिए।

गाँधीजी का आग्रह था कि वयस्क मताधिकार के साथ ही साथ अथवा उससे भी पहले सार्वजनिक षिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसका पुस्तकीय होना अनिवार्य नहीं है– पुस्तकें तो संभवतः उसकी सहायक की भूमिका निभा सकती हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजी षिक्षा ने हमारे मस्तिष्क को कंगाल बना दिया है, कमजोर कर दिया है और उन्हें साहसी नागरिकता के लिए कभी तैयार नहीं किया। यदि हम में ईमानदारी और उत्साह हो तो नागरिकता के मर्म को समझने की षिक्षा अल्प समय में ही ग्रहण की जा सकती है।

गाँधीजी ने कहा था कि ''मैं स्त्री की उचित षिक्षा में विष्वास करता हूँ लेकिन मेरा पक्का विष्वास है कि पुरूष की नकल करके या उसके साथ होड़ लगा कर वह अपना योगदान नहीं कर सकेगी। वह होड़ लगा सकती है, पर पुरूष की नकल कर के वह उन ऊँचाईयों को नहीं छू सकती, जिनका सामर्थ्य उसके अन्दर है। उसे पुरूष का पूरक बनना है।

जहां तक स्त्री षिक्षा का संबंध है, मैं निष्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि यह पुरूषों की षिक्षा से भिन्न होनी चाहिए या नहीं और उसकी शुरूआत कब होनी चाहिए। लेकिन मेरी पक्की राय है कि स्त्रियों को भी पुरूषों के समकक्ष षिक्षा सुविधाएं मिलनी चाहिए और जहां आवष्यक हो वहां उन्हें विषेष सुविधाएं भी देनी चाहिए।

गाँधीजी का सोचना था कि स्त्री षिक्षित होगी तभी घर–परिवार और समाज में अपने सही स्थान को पहचान पाएगी। षिक्षा उसमें सोए आत्मविष्वास को जगाएगी, जो अपने बच्चों

का उचित पालन–पोषण करने में उसका सहायक होगा। परिवार की डरी सहमी महिला के बच्चों का स्वाभाविक विकास किसी भी तरह संभव नहीं है।

गाँधीजी जानते थे कि स्त्री षिक्षा का अभाव होने के कारण ही समाज में स्त्री –पुरूष असमानता, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा, तलाक, बाल विवाह तथा वेष्यावृत्ति जैसी कुरीतियां फैली हुई हैं उन्होंने हमेषा यही कहा कि यदि नारी षिक्षित होती तो वह इन समस्याओं व कुरीतियों के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए तथा इनका सामना करने का आत्मबल रखती। इसके लिए नारी षिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो उसकी मानसिकता में क्रान्ति ला दे, उसके सामने ज्ञान के नए क्षितिज खोल दे।

गाँधीजी ने स्त्री –पुरूष की महत्ता स्वीकार की है। उनके अनुसार सामाजिक प्रगति में स्त्री व पुरूष एक दुसरे के विरोधी न होकर समपूरक हैं। स्त्री और पुरूष दोनों में मूल तत्व एक ही हैं। दोनों में एक ही आत्मा विराजमान है, दोनों एक प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं , दोनों की एक भांति की भावनाएं हैं, एक की सहायता के बिना दूसरा जीवन नहीं जी सकता। वह स्त्री को पुरूष की गुलाम न समझ कर उसकी अर्द्धांगिनी , सहधर्मिणी व मित्र समझते थे।[4] गाँधीजी ने भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं और उनके माध्यम से सामाजिक शोषण के विषय में अत्यधिक सजग दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किए। महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक कुरीतियों के बारें में उनके मन में काफी कड़वाहट थी। यद्यपि इन कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए उन्होंने कोई संगठित आन्दोलन नहीं चलाया किन्तु विभिन्न मंचों पर अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से इन कुरीतियों पर प्रहार करते रहे। पर्दा प्रथा पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्त्रियों की प्रगति व स्वतंत्रता में बाधक है, इसकी वजह से स्त्रियां न केवल मुक्त रूप से घूम फिर सकती हैं बल्कि उनकी प्रगति और समाज उपयोगी काम करने की उनकी शक्ति में रूकावट पड़ती है। स्त्रियों को वह स्वतंत्रता क्यों नहीं प्राप्त है जो पुरूषों को प्राप्त है वे घर के बाहर निकलने तथा शुद्ध वायु का सेवन करने से वंचित क्यों रखी जाती हैं? पर्दे के न रहने पर भी मर्यादा की रक्षा की जा सकती है उनका मानना था कि पुरूष की कुदृष्टि से स्त्रियों को बचाने का प्रयास पर्दा नहीं, बल्कि पुरूष की पवित्रता है।[5]

समाज, संस्कृति, पर्यावरण की सुरक्षा आदि में स्त्रियां मुख्य भूमिका निभा सकती हैं स्त्रियां स्वाभाव से ही प्रकृति के निकट सम्पर्क में रहती है, वे अपने शरीर की रचना और क्रियाओं तथा पालन –पोषण की आवष्यकताओं पर अधिक ध्यान देती हैं, इसके विपरीत पुरूष स्वभावतः कृत्रिम जीवन बिताना पसंद करते हैं और सभी वस्तुओं को अपने साधन के रूप प्रयोग करने को तत्पर रहते हैं। गाँधीजी सर्वोदय के लिए महिलाओं की भूमिका आवष्यक मानते थे। महिलाएं सत्याग्रह के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं क्योंकि उनमें कष्ट सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। स्त्री अहिंसा का अवतार है, अहिंसा में त्याग की वृत्ति है, सहनषक्ति है, उदार मनोभावनाएं है व धैर्य है। ये समस्त गुण नारी समाज में निहित हैं। अतः नारी का शक्ति सम्पन्न होना न केवल उसके प्रकृति के सामन्जस्य के लिए आवष्यक है अपितु पुरूषों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी आवष्यक है।

उनका कहना था कि स्त्रियों के अधिकार के संबंध में मैं कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। मेरी राय में स्त्रियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए जो पुरूषों पर लागू न हो।[6] उग्र नारीवादी समर्थकों की भांति वे यहां तक कहते हैं कि यदि पति अपने पत्नी के साथ अन्याय करता है तो पत्नी को अलग रहने का अधिकार है। जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरूष को अपनी भविष्य रचना का है उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को अपना भविष्य तय करने का है। जिस रूढ़ि और कानून बनाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं था, जिसके लिए सिर्फ पुरूष जिम्मेदार है उस कानून और रूढ़ि के जुल्मों ने स्त्री को लगातार कुचला है। अतएव शास्त्रों की उन अप्रमाणिक बातों को निकाल देना चाहिए जिनका कोई नैतिक मूल्य नहीं अथवा जो धर्म और नैतिकता के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं।

महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर अनेक सुधारकों, सामाजिक संस्थाएं व वैधानिक प्रयासों ने सराहनीय प्रयास किया। समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास की संभावनाओं को तलाषा जा रहा है लेकिन अभी भी उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है। महिलाओं को दिए गए अधिकार केवल दिखावटी है उन्हें लागू करने की कोई पहल नहीं दिखती षिक्षा, सम्पत्ति, स्वतंत्रता, समानता आदि के अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन जब उन्हें अमली जामा पहनाना होता है तो उसके विरोध में तरह–तरह के तर्क दिए जाते हैं। भूमण्डलीकरण और बाजारवादी

व्यवस्था के कारण आधुनिकता सिर्फ स्टाइल और फैषन में ही दिख रही है मानसिक स्तर पर यह विकास नहीं दिखता। महिलाएं केवल सौन्दर्य प्रतियोगिता व उपभोक्ता उत्पाद के विक्रय का जरिया बन गई है। इस संदर्भ में पत्रकार व लेखक मृणाल पाण्डेय का कथन है कि, युवतियों और किषोरियों के जीवन में उदारवादिता के प्रवेष, समाज में स्त्री–पुरूष संबंधों को लेकर एक वयस्क व उदार रूख का विकास हुआ है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बात हमें चिंतित व उदास करती है वह यह कि हर मिस इण्डिया मंच पर खड़ी होकर मदर टेरेसा के आश्रम या अनाथालयों में सेवा करने की भावुक इच्छा भले जाहिर करे, हम जानते कि मुकुट पहनने के बाद उनमें से अधिकतर मिस इण्डिया फिल्मों में आइटम नम्बर ही करेंगी। महिलाएं आत्म केन्द्रित और वृहत्तर सामाजिक सच्चाईयों की ओर जिस तेजी से लापरवाह होती जा रही हैं, वह स्वस्थ नहीं है। महिलाओं के जिन स्त्रियोचित गुणों के कारण उन्हें पुरूषों से श्रेष्ठ माना गया है वे अब अहंकार, क्रुरता और आत्मकेन्द्रित स्वार्थपरकता जैसे पुरूषोचित गुणों में तब्दील होती जा रही है। यह विडम्बना ही है कि जिनके विरूद्ध नारी वादियों ने मुखर प्रतिवाद किया था महिलाएं उसी को अपना बैठी[7] गाँधी जी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की शक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहते थे, उन्होंने स्त्री शक्ति का स्त्रोत उसकी सादगी और मन की दृढ़ता में देखा और इस स्त्रोत के प्रति उन्हें वे निरंतर जागरूक करते रहे। गाँधी जी के लिए स्त्री का सच्चा सौन्दर्य उसके चरित्र बल और शील में था।

सामान्यतः गाँधी जी को धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मामलों में परंपरावादी तथा अनुदार माना जाता है किन्तु जहां तक हिन्दु समाज में स्त्रियों की स्थिति का प्रष्न है, गाँधी जी ने जो विष्वदृष्टि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में न केवल अपने भीतर विकसित की, बल्कि उसे अपने आचरण में भी उतारा, वह 21वीं शताब्दी के इस चरण में भी काफी क्रांतिकारी लग सकती है। कभी –कभी यह बात बहुत अचरज भरी लगती है कि अन्य अनेक सामाजिक मामलों में परम्परावादी रीति–नीति का समर्थन करने वाले गाँधी महिलाओं से जुड़े प्रष्नों पर इतनी गहरी उदारतावादी और समतावादी दृष्टि कैसे अपना पाए ? परन्तु उनका आचरण तथा उनके लेख, भाषण, पत्र आदि इस तथ्य के जीवन्त प्रमाण हैं कि वे नारी को पुरूष से किसी भी मामले में कमतर नहीं मानते थे और सहिष्णुता जैसे मामलों में तो औरतों को पुरूषों से अधिक समर्थ और

सक्षम मानते थे यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व का पूरा अवसर दिया। विभिन्न आंदोलनों में औरतों को शामिल करने के साथ –साथ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान के कार्यक्रम भी चलाए। उल्लेखनीय बात यह है कि नारी मुक्ति का शोर मचाने के बजाय उन्होंने महिलाओं को एकदम सहज ढंग से स्वतंत्रता आन्दोलन का अभिन्न अंग बनाया।

महिलाओं के प्रति गाँधी जी के सकारात्मक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलु यह है कि वे महिलाओं को पुरूषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ और सुहृदय मानते थे। वे नारी को अबला कहने के सख्त खिलाफ थे। समूचे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान उन्होंने अनेक महिलाओं को न केवल स्वतंत्रता संघर्ष में कूदने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें नेतृत्व करने का भी अवसर दिया। स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में सरोजिनी नायडु, सुचेता कृपलानी, सुषीला नैयर, विजयलक्ष्मी पण्डित, अरूणा आसफअली, इंदिरागांधी तथा अन्य कई महिला नेताओं ने कांग्रेस को सषक्त बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से सामाजिक उत्थान तथा अन्य रचनात्मक कार्यों को अपनाया यही नहीं गाँधी जी ने कुछ विदेषी महिलाओं को भी अपने व्यवहार व स्नेह से इतना प्रभावित किया कि वे अपना देष छोड़ कर न केवल भारत में बस गई बल्कि भारतीय नाम और जीवन पद्धति भी अपनाई और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया, इनमें सरला बेन तथा मीरा बेन जैसे नाम भी उल्लेखनीय हैं।

यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि महिला अधिकारों के संबंध में आज जो अनुकूल वातावरण हमें दिखाई दे रहा है उसकी नींव गाँधी जी जैसे महानुभावों ने बहुत पहले रख दी थी। इस संदर्भ में प्रतिष्ठिक सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट का यह कथन एकदम सटीक प्रतीत होता है, ''महिलाओं ने उनके नेतृत्व में चले जन आंदोलन में सहज ढंग से भाग लिया, इससे भारतीय महिलाओं के जीवन में हमेषा के लिए एक मोड़ आ गया मैं यहां कहना चाहूंगी कि यदि गाँधी जी यह मोड़ न लाए होते तो मैं वह न होती जो मैं आज हूं। यह बात आज की हर महिला पर लागू होती है।''[8]

जाहिर है भावनात्मक स्तर पर सम्मान और समानता के समर्थन भर से महिलाओं को समाज में वास्तविक बराबरी नहीं दिलाई जा सकती इस संबंध में गाँधी जी का स्पष्ट मत था कि औरतों का शैक्षिक स्तर सुधार कर उन्हें आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। उस दौर में ही गाँधी जी ने महिला समानता के लिए आर्थिक स्वावलम्बन की आवष्यकता को पहचान लिया था। उनके खादी आन्दोलन का एक उद्देष्य स्वदेषी की भावना को उजागर करना और दूसरा उद्देष्य देष की गरीब जनता विषेषकर महिलाओं को जो कि सामाजिक बंधनों के कारण घर से बाहर जाकर कामधंधे नही कर पाती थी उन्हें घर पर चरखा या तकली चलाकर कुछ धन अर्जित करने का साधन उपलब्ध कराना था। खादी उद्योग के माध्यम से गांव, कस्बों और शहरों की लाखों निर्धन महिलाओं को देषभक्ति की अनुभूति के साथ–साथ रोजगार भी मिला और उनके जीवन में खुषहाली भी आई।

नारी स्वतंत्रता की बात करने वाली आज की नारीवादी राजनीति स्वतंत्रता की जगह स्वच्छन्दता में तबदील हो गई है जिससे समाज में बिखराव ही होगा। इंग्लैण्ड की महिलाओं ने जिस जुझारूपन से अपने लिए मताधिकार को प्राप्त किया था गाँधी जी वही जुझारूपन भारतीय महिलाओं में देखना चाहते थे। परन्तु विधायिका में एक तिहाई आरक्षण के लिए देष की आधी आबादी को पुरूषों का मुंह ताकना पड़ रहा है। नीति निर्माण आर्थिक, पारिवारिक स्तर पर उनके निर्णयों का सम्मान किया जाए, शासन के अंगों में समुचित भागीदारी हो, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो इन सबके लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन होना आवष्यक है क्योंकि हृदय परिवर्तन के पश्चात ही समाज में परिवर्तन होगा और यह सबकुछ साधिकार प्राप्त हो।

गाँधी जी स्त्री –पुरूष समानता के पक्षधर थे उन्होंने केवल यही नहीं कहा कि भारतीय पुरूष भारतीय स्त्रियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं बल्कि यह भी कहा कि पाष्चात्य महिलाएं भी भारतीय महिलाओं की कुलीनता, श्रेष्ठता और अहिंसा आदि कई गुणों की सीख उनसे ले सकती हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान था महिलाओं द्वारा सार्वजनिक स्तर पर किए गए कार्यों को औचित्यता प्रदान करना तथा उन्हें संकीर्ण दायरे से निकाल कर व्यापक दायरे में लाना। महिलाओं के अधिकारों के बारे में संवेदनषील होने के बावजूद गाँधी जी ने महिला समस्या को राजनीतिक मंच नहीं प्रदान किया और न ही कोई संगठन बनाया। महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन

में शामिल करने में उन्हें कई वर्ष लग गए। उन्होंने हिन्दु पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुकूल ही महिलाओं की भूमिका तय की। शराबबंदी तथा अन्य नषीली वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना महिलाओं के लिए सबसे अनुकूल कार्य समझा। अहिंसा की उनकी विचारधारा में महिलाएं सबसे अधिक नजदीक थी क्योंकि उसमें काफी पीड़ा सहन करना शामिल है जो केवल स्त्रियां ही कर सकती है परन्तु गाँधी जी ने महिलाओं को सबल बनाने के लिए जो प्रयास किए वह कभी महत्वहीन नहीं होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में गाँधी जी के आने से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विषय में लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ। नारी मुक्ति का ढिंढोरा पीटने के बजाय उन्होंने महिलाओं को एकदम सहज ढंग से अपनी और देष की स्वतंत्रता की राह दिखाई।

संदर्भ ग्रंथ

1. सिंह श्री भगवान, गांधी और दलित भारत जागरण (2008) भारतीय ज्ञानपीठ लोदी रोड नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 122
2. हिन्दी नव जीवन, 25 दिसम्बर 1921
3. मोहनराव, यू.एस. महात्मा गांधी का संदेष , प्रकाषन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय , नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 75
4. वहीं, पृष्ठ संख्या 77
5. सम्पूर्ण गांधी वाङमय, खण्ड 24 पृष्ठ संख्या 284
6. मोहनराव, यू.एस. महात्मा गांधी का संदेष , प्रकाषन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय , नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 77
7. पाण्डेय मृणाल, जहां औरते गढ़ी जाती है (2008) राधाकृष्ण प्रकाषन प्रा.लि. नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 62
8. स्त्री अधिकार और गांधी चिंतन– सुभाष सेतिया दिनांक 08.07.2011 साभार प्रवक्ता डॉट कॉम